न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2024 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ. मदन लाल गूजर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण दौसा राज0

— आवेदक—

बनाम

1. श्री श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र श्री भरतलाल शर्मा मालिक/एफ.बी.ओ. मैसर्स बालाजी डेयरी गनीपुर रोड सिकराय दौसा(राज0) निवासी — गनीपुर रोड सिकराय जिला दौसा (राज0)

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 27.04.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.11.2023 को समय 9.31 ए.एम. पर थानाधिकारी पुलिस थाना सिकराय की उपस्थिति में मैसर्स बालाजी डेयरी गनीपुर रोड सिकराय जिला दौसा पर पहुंचा, वहाँ पर श्री श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र श्री भरतलाल शर्मा मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री श्यामसुन्दर शर्मा ने स्वयं को मैसर्स बालाजी डेयरी गनीपुर रोड सिकराय जिला दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री श्याम सुन्दर की उपस्थिति में मैसर्स बालाजी डेयरी का निरीक्षण करने पर पाया की उसमें आम जनता को विकय करने हेतु अलग—अलग स्थानों पर मावा,पनीर,घी तैयार शुदा व तैयार किया जा रहा था तथा मिश्रित दूध बीएमसी में भरा हुआ था के साथ आम जनता को विक्रय करने हेतु तैयार शुदा मावा(**Khoya**) जो कि डेयरी के कमरे में अलग अलग ऐल्यूमिनियम की छः परातों में लगभग 40—40 किलोग्राम रखे हुये पाया मावा(**Khoya**) का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विकेता श्री श्याम सुन्दर शर्मा को नियमानुसार फार्म 5 ए की लिखित सुचना देते हुये श्री श्याम सुन्दर शर्मा व गवाहान के फार्म नं. 5 ए पर हस्ताक्षर करवायें व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर व मोहर किये व फार्म 5 ए की एक प्रति विकेता श्री श्याम सुन्दर शर्मा को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विकेता को बताकर कि यह मावा(**Khoya**) को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय कर रहा हूं, डेयरी के कमरे में ऐल्यूमिनियम की छः परातों में से एक परात का चयन कर उसमें से एक किलोग्राम मावा(**Khoya**) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने साफ व सूखी चार पलास्टिक शीशीयों में 250—250 अलग—अलग इलेकट्रोनिक मशीन से तुलवाकर कय किया। जिसकी कीमत श्री श्याम सुन्दर शर्मा को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से कुल एक किलोग्राम मावा(**Khoya**) के 280/— नगद देकर रशीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्रय किये गये एक किलोग्राम मावा(**Khoya**) जो कि प्लास्टिक की शीशियों में 250—250 ग्राम चार भागों को श्री श्याम सुन्दर शर्मा एवं गवाहान को दिखाकर प्रत्येक शीशियों में बतौर परिरक्षक 40—40 बूंदे फार्मेलीन डालकर प्रत्येक शीशी के ढ़क्कन लगार नियमानुसार एयर टाइट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किया एवं चारों नमूना भागों के लिए

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी –3995 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर श्री श्याम सुन्दर शर्मा तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. एजी–3995 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार से करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को पढ़कर , सुनाकर एवं समझाकर हस्ताकर करने को कहा जिसे श्री श्याम सुन्दर शर्मा ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। मौके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतिया अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा श्रीमान मु० चि० एवं स्वा० अधि० दौसा को नमूना का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,दौसा को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,दौसा को जमा करवाया एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा ने श्री महेश सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, दौसा को दिनांक 08.11.2023 को श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है, नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को दिनांक 08.11.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/6535 दिनांक 14.11.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल० एस०/4871/एक्ट/2023/4554 दिनांक 09.11.23 के अनुसार विक्रेता श्री श्याम सुन्दर शर्मा से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया मावा(**Khoya**) फोरेन फेट (**foreign Fat**) की उपस्थिति के कारण खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (zx) की पालना नही करने के कारण खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zx) की पालना नही करने के कारण अमानक (**Sub-Standard**) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया एवं बहस करने का निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./4871/एक्ट/2023/4554 दिनांक 09.11.23 के अनुसार विक्रेता श्री श्याम सुन्दर शर्मा से मानक स्तर की जांच करने हेतु क्रय किया गया मावा (**Khoya**) फोरेन फेट (**foreign Fat**) की उपस्थिति के कारण खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (zx) की पालना नही करने के कारण अमानक स्तर का पाया गया है। जो कि एफएसएसए की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मेरे द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ मावा(**Khoya**) में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। मेरे द्वारा विभिन्न पशुपालको से दूध की फैट नापकर दूध खरीदा जाकर उसका मावा(**Khoya**) बनाया जाकर आम जन को विक्रय किया जाता है। भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानको का ध्यान में रखते हुये ही खाद्य पदार्थो का निर्माण एवं विक्रय किया जावेगा। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल. एस./4871/एक्ट/2023/4554 दिनांक 09.11.23 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा(**Khoya**) का नमूना अमानक (**SUBSTANDARD**) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (**SUBSTANDARD**) स्तर के खाद्य पदार्थ मावा(**Khoya**) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक(**SUBSTANDARD**) स्तर के खाद्य पदार्थ मावा(**Khoya**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री भरतलाल शर्मा मालिक/एफ बी ओ मैसर्स बालाजी डेयरी गनीपुर रोड सिकराय जिला दौसा पर 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 27.04.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (**Chief Medical & Health Officer Dausa**)के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.4.26
(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ 2026/ 136-38
दिनांकः– 27.04.2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री भरतलाल शर्मा मालिक/एफ बी ओ मैसर्स बालाजी डेयरी गनीपुर रोड सिकराय जिला दौसा।

27.4.26
(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा